<u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> <u>जिला बैतूल</u>

<u>दांडिक प्रकरण कः – 12 / 14</u> <u>संस्थापन दिनांकः – 13 / 01 / 14</u> <u>फाईलिंग नं. 233504003752014</u>

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

वि रू द्व

गुणवंती पति श्यामराव बसदेवा उम्र 40 वर्ष, निवासी टांडा, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्त

<u>-: (नि र्ण य) :-</u>

(आज दिनांक 14.02.2017 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 294, 323, 506 भाग—दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 11.01.2014 को समय शाम करीब 04:30 बजे रूमंतीबाई के घर के सामने ग्राम जम्बाड़ी टांडा थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत सार्वजिनक स्थान या उसके समीप फरियादी लिलताबाई को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी लिलताबाई को ईट के टुकड़े से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की तथा फरियादी को सत्रांस कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 11.01. 2014 को शाम करीब 04:30 बजे अभियुक्त से उधारी के पैसे मांगने गयी थी तो अभियुक्त ने उसे तेरे कोई पैसे बाकी नहीं है कहकर छिनाल, बज्जात व मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी तथा ईंट के टुकड़े से उसे बांये तरफ सिर, कनपटे के उपर मारा जिससे उसे चोट आयी। अभियुक्त ने उसे बाल पकड़कर खींचातानी की। अभियुक्त ने उसे जान से मारकर खत्म करने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 29/14 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी

पंचनामा बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

- 1. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी ललिताबाई को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया ?
- 2. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी ललिताबाई को ईंट के टुकड़े से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित ?
- 3. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को सत्रांस कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
- 4. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

विचारणीय प्रश्न क. 02 एवं 03 का निराकरण

- 5 लिलता (अ.सा.—3) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में अभियुक्त द्व ारा उसे अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं परंतु साक्षी से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात को सही बताया है कि अभियुक्त ने उसे छिनाल, बज्जात की गालियां दी थी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में अभियुक्त द्वारा फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं।
- 6 साक्षी / फरियादी ललिता (अ.सा.—3) ने जो शब्द न्यायालय में बताये हैं वे शब्द ग्रामीण परिवेश में सामान्यतः बिना उनके शाब्दिक अर्थ के मात्र

कोध प्रकट करने के लिए उच्चारित किये जाते हैं जिन्हें भले ही नैतिकता के विरूद्ध माना जाता हो किंतु अभियुक्त एवं फरियादी के ग्रामीण परिवेश को देखते हुए धारा 294 भा.दं.सं. के अर्थ में अश्लील नहीं माना जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत वंशी विरूद्ध रामिकशन 1997 (2) डब्ल्यू.एन. 224 अवलोकनीय है जिसमें प्रतिपादित विधि अनुसार केवल गालियां दी जाना इस अपराध को घटित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फलतः अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 294 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

7 अभियुक्त द्वारा घटना के समय फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में किसी भी अभियोजन साक्षी ने उनके न्यायालयीन कथनों में कोई कथन प्रकट नहीं किये हैं। अतः साक्ष्य के नितांत अभाव में अभियुक्त के विरूद्ध धारा—506 भाग—2 भा0दं0सं0 का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण

- 8 लिता (अ.सा.—3) ने न्यायालयीन परीक्षण में बताया है कि उसे अभियुक्त गुणवंती की लड़की प्रियंका ने पत्थर से मारा था जिससे उसे चोट आयी थी।
- 9 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.—1) ने दिनांक 11.01.2014 को सीएचसी आमला में बीएमओ के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत ललिता का परीक्षण किये जाने पर आहत के सिर के बांये तरफ 3 गुणा 2 गुणा 1 सेमी. आकार का फटा हुआ घाव होना बताते हुए उक्त चोट कड़े एवं बोथरे हथियार से आना प्रकट करते हुए चिकित्सकीय रिपोर्ट (प्रदर्श प्री—1) को प्रमाणित भी किया है।
- 10 बिसनसिंह (अ.सा.—4) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 11.01.2014 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए अपराध क. 29 / 14 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर दिनांक 2.015. 2014 को घटना स्थल का मौका नक्शा (प्रदर्श प्री—5) एवं अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री—6) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उक्त दस्तावेजों को प्रमाणित भी किया है।
- 11 **बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि** प्रकरण में किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। स्वयं फरियादी/आहत अपने कथनों पर स्थिर नहीं है। तब ऐसी स्थिति में अभियोजन कथा संदेहास्पद हो जाती है। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त

संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

- 12 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में श्रीदेवी (अ.सा.—2) ने अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है। साक्षी से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने अभियोजन के समर्थन में कोई भी तथ्य प्रकट नहीं किये हैं। अतः अभिलेख पर मात्र आहत / फरियादी ललिता (अ.सा.—3) की साक्ष्य उपलब्ध है।
- जहां तक फरियादी की एकल असंपुष्ट साक्ष्य का प्रश्न है। इस संबंध में साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 में स्पष्टतः वर्णित है कि— किसी मामले में किसी तथ्य को प्रमाणित करने के लिए साक्षियों की कोई विशेष संख्या अपेक्षित नहीं है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जोसेफ विरुद्ध केरल राज्य (2003) 1 एससीसी 465 के न्याय दृष्टांत में यह न्याय सिद्धांत प्रति पादित किया है कि एकमात्र साक्षी की साक्ष्य भी यदि पूरी तरह विश्वसनीय पायी जाती है तो उस पर दोषसिद्ध स्थिर की जा सकती है, अवलोकनीय है। अतः साक्षी लिलता (अ.सा.—3) के कथनों से यह देखा जाना है कि उस पर विश्वास कर अभियोजन कथा को प्रमाणित माना जा सकता है अथवा नहीं।
- ललिता (अ.सा.-3) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि ६ 14 ाटना दिनांक को वह अभियुक्त से उधार 5,000 / - रूपये मांगने के लिए गयी थी और कहा था कि उसका पति बीमार है पैसे दे दो तो अभियुक्त ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं है। तभी अभियुक्त गुणवंतीबाई की लंड़की प्रियंका ने पत्थर का टुकड़ा उठाकर उसके सिर पर मार दिया जिससे उसके सिर पर चोट आयी थी। साक्षी ने आगे यह भी प्रकट किया है कि अभियुक्त गुणवंतीबाई अपनी लडकी प्रियंका से यह बोल रही थी कि मारो जो होगा देख लेंगे। अभियोजन अधिकारी द्वारा उपर्युक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह सही होना बताया है कि उसे अभियुक्त गुणवंती ने ही पत्थर से मारा था और यह भी सही होना बताया है कि पुरानी बात होने से वह यह बात नहीं बता पाई थी परंतु प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 03 में उक्त साक्षी ने यह बताया है कि अभियुक्त की लड़की ने ही उसे पत्थर से मारा था और उसने पुलिस को भी ऐसा ही बताया था। इसी पैरा में साक्षी ने यह बताया है कि पुलिस वालों ने कहा था कि लड़की की मां का नाम लिखा दो इसलिए उसने अभियुक्त गुणवंती का नाम लिखाया था। इसी पैरा में साक्षी ने यह भी बताया है कि अभियुक्त की तीनों लड़कियों ने उसे मारा था। अभियुक्त ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की थी।

15 फरियादी लिलता (अ.सा.—3) ने अभियोजन कथा से हटकर न्यायालय में कथन किये हैं। फरियादी के कथनों का किसी स्वतंत्र साक्षी ने समर्थन नहीं किया है। स्वयं फरियादी ने यह बताया है कि उसे अभियुक्त गुणवंती ने नहीं मारा था। तब ऐसी स्थिति में अभियोजन कथा में संदेह की स्थिति निर्मित होती है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

विचारणीय प्रश्न क. 04 का निराकरण

16 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर सार्वजनिक स्थान या उसके समीप फरियादी लिलताबाई को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी लिलताबाई को ईंट के टुकड़े से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की तथा फरियादी को सत्रांस कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। फलतः अभियुक्त गुणवंती को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 323, 506 भाग—दो के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

17 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

18 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैत्ल (म.प्र.)